दिल्ली विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

458. श्री अनन्तराम जायसवाल :

श्री राजनाथ सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों की संख्या कितनी है और उनमें व्याख्याताओं के कुल कितने पद हैं ;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में व्याख्याताओं के अनेक पद रिक्त हैं, यदि हां, तो रिक्त पदों की कालेज-वार और संख्या विषय-वार कितनी-कितनी है और ये पद कब से रिक्त हैं ;

(ग) क्या व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए कोई विज्ञापन दिया गया है और क्या इस संबंध में कोई साक्षात्कार लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कब और कितने पदों के लिए विज्ञापन दिया गया और कितने पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय शोधार्थी संघ ने विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों मे व्याख्याता पदों की रिक्तियों को भरने हेतु चयन प्रक्रिया जल्दी शुरु करने की मांग की है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है और संबद्ध कालेजों में सभी रिक्तियों पर नियुक्तियां कब तक पूरी हो जायेंगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना अनुसार 65 दिवा और 11 सांध्य कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं । इन कॉलेजों में पदों की कोई निश्चित संख्या नहीं है ; पदों की आवश्यकता का निर्धारण कार्यभार और शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के आधार पर किया जाता है ।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि कॉलेजों में चयन प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत है और चयन समिति में विश्वविद्यालय के दो विशेषज्ञों की भागीदारी होने पर कॉलेजों को विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी केन्द्रीकृत नियंत्रण के लेक्चररों के चयन में पूरी स्वायत्तता प्राप्त है । अलग-अलग कॉलेज विज्ञापन जारी करके चयन प्रक्रिया स्वयं पूरी करते हैं ।

(ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय शोध छात्र संघ ने विभिन्न संगठनों और दलों के साथ व इच्छा व्यक्त की है कि रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नियमित चयन प्रक्रिया तत्काल आरम्भ की जानी चाहिए। इस मामले पर कोई सरकारी निर्णय आवश्यक नहीं है । तथापि, विश्वविद्यालय से यह अनुरोध किया गया है कि वह कॉलेजों से यह कहे कि यदि कोई पद रिक्त हों तो उन्हें शीघ्र भरने के लिए सभी संभव कदम उठाएं ।

Sanction strength in Kendriya Vidyalayas of Delhi Region

*459. SHRI RAGHAVJI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1814 given in the Rajya Sabha on 24th March, 1995 and state:

(a) the details of the norms that govern determination of staff strength in Kendriyas Vidyalayas;

(b) what was the staff strength of Kendriya Vidyalayas of Delhi Region as sanctioned for 1993-94 and 1994-95 category-wise;

(c) what was the position of employees actually posted in each of the Vidyalayas of Delhi during the said two sessions, category-wise; and

(d) what are the details of those employees who had been posted in these Vidyalayas over the above the sanctioned strength, category-wise during the period, Vidyalaya-wise alongwith justification in each case?